एचएसवीपी की 53 सेवाओं को अनिवार्य के दायरे में लाएंगे

चंडीगढ़। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी सेवाएं मुहैया करवाने के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन को आगे बढ़ाते हुए, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने राज्य सरकार से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा प्रदान की जा रही 53 सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के दायरे में लाने की सिफारिश की है। विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा को भी तर्कसंगत बनाने को कहा है।